

Rucha Alwalehi

वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी अनुमति-पत्र

सं० 135 / न० 310 वि०

दिनांक 14-8-15

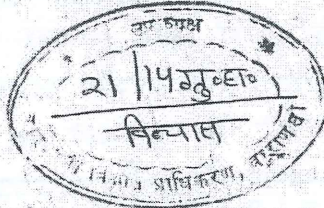
गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री श्रीमती सुबनेश्वरी सिंह पत्नी
श्री जयप्रकाश गरायण सिंह न राजीव सिंह 5/6 श्री जयप्रकाश गरायण सिंह
पिता/पति का नाम श्री आराजी संख्या 76/2 मौजा अरलाई
वार्ड शिवपुर में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के विहित भवन
चित्र अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

दिनांक 20



नगर अभियन्ता (भवन)

विकास क्षेत्र, वाराणसी

वाराणसी विकास प्राधिकरण

वाराणसी

नोट : 1- यह स्वाकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2- इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झाँप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3- मकान निर्माण से यदि नाली, सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिए। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5- प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6- यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

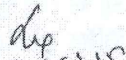
7- यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंस कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

शर्तें :-

- 1:- पक्का गण को स्थल पर 13 पेड लगाना होगा।
- 2:- वेसमेंट जो बिल्डिंग लाइन से अधिक पर बनी है, उस स्लैब का स्ट्रक्चर / डिजाइन आर्किटेक्चर डेप्टमेंट का सार बहने करने की क्षमता के अनुसार होगा।
- 3:- कुल पार्किंग क्षेत्र का 10 प्रतिशत साव बिजिटो पार्किंग हेतु आरक्षित किया जायेगा जिसमें प्रवेश एवं निष्कास की उचित व्यवस्था पक्का गण द्वारा करना होगा।
- 4:- भू-समाप्ति एवं रास्ते सम्बन्धी किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में पक्का गण का मान्यता स्वरूप निरस्त सम्भवा जायेगा जिसकी समस्या निम्नवाली पक्का गण की होगी।
- 5:- पक्का गण को विद्युत बिमावा व अग्नि बीमा के बीमा के शर्तों का पालन करना होगा।
- 6:- पक्का गण द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र दिनांक 30/6/15 व दिनांक 13/8/15 का पालन करना होगा।
- 7:- बिमावा द्वारा मरिफत में आई कोई देयता बनती है तो वह पक्का गण द्वारा देय होगा।
- 8:- निर्माण उपरान्त पक्का गण को पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।


13/8/15


14-8-15


14/8/15
2



नगर अभियंता (पवन)
निकास प्रावि, वाराणसी।

स्वीकृत करी ८८ के आगे - १९ फरवरी १८



वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

सेवा में,

श्री राजीव सिंह पुत्र श्री अवध नारायण सिंह व श्रीमती भुवनेश्वरी सिंह पत्नी श्री अवध नारायण सिंह, आराजी संख्या-76/2, मौजा-भरलाई, परगना-शिवपुर, वार्ड-शिवपुर, जिला-वाराणसी

पत्रांक- 21/14 अ.ए. / वि०प्रा० / 2018-19

दिनांक : 04-07-18

विषय : आराजी संख्या-76/2, मौजा-भरलाई, परगना-शिवपुर, वार्ड-शिवपुर, जिला-वाराणसी पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किये गये अवैध निर्माण को शमन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.12.17 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपर्युक्त स्थल का शमन मानचित्र इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि आपको पूर्व में दिये गये शर्तों का पालन भी आप द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक-शमन मानचित्र की प्रति।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी (मानचित्र)